

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्रा (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 193]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 मई 2015—वैशाख 29, शक 1937

विधि एवं विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 मई 2015

क्र. 137-1-स्था-विनिर्वा-97-265.—मध्यप्रदेश निर्वाचन (राजपत्रित) सेवा (वर्ग एक एवं दो) भर्ती नियम 1993 में संशोधन सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

एस. एस. बंसल, सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 मई 2015

क्र. 137-1-स्था-विधि. निर्वा-2007.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश निर्वाचन (राजपत्रित) सेवा (वर्ग एक और दो) भर्ती नियम, 1993 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) विद्यमान अनुसूची-एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिए)

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	1	वर्ग-एक	आई. ए. एस. संवर्ग वेतनमान
2	अतिरिक्त/संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.	1	वर्ग-एक	आई. ए. एस. संवर्ग वेतनमान

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	1	वर्ग-एक	15,600—39,100+6,600 ग्रेड वेतन
4	स्टॉफ ऑफिसर	1	वर्ग-एक	15,600—39,100+6,600 ग्रेड वेतन
5	सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	1	वर्ग-दो	15,600—39,100+5,400 ग्रेड वेतन
6	लेखाधिकारी	1	वर्ग-दो	15,600—39,100+5,400 ग्रेड वेतन
7	निज सचिव	1	वर्ग-दो	9,300—34,800+4,200 ग्रेड वेतन
8	अनुभाग अधिकारी	3	वर्ग-दो	9,300—34,800+4,200 ग्रेड वेतन”

- (2) अनुसूची-दो में अनुक्रमांक 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाए तथा विद्यमान अनुक्रमांक 4, अनुक्रमांक 5, अनुक्रमांक 6 तथा अनुक्रमांक 7 को उसके अनुक्रमांक 5, अनुक्रमांक 6, अनुक्रमांक 7 तथा अनुक्रमांक 8 के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए, अर्थात् :-

विभाग का नाम	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	कर्तव्य पद की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता		अन्य सेवाओं के व्यक्तियों से स्थानांतरण द्वारा
			सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“विधि (निर्वाचन)	4. स्टॉफ ऑफिसर	1	-	100 प्रतिशत	-”

- (3) अनुसूची-तीन में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाए तथा विद्यमान अनुक्रमांक 2, अनुक्रमांक 3 तथा अनुक्रमांक 4 को उसके अनुक्रमांक 3, अनुक्रमांक 4, तथा अनुक्रमांक 5 के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए :-

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य का नाम	सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
“विधि (निर्वाचन)	2. निज सचिव	स्टॉफ ऑफिसर	5 वर्ष	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	—अध्यक्ष
				मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का एक सदस्य	—सदस्य
				अतिरिक्त/संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी”	—सदस्य

No. 137-1-Esstt.-Law Election-207.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Election (Gazetted) Service (Class I & II) Recruitment rules, 1993, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

- (1) For the existing Schedule-I the following Schedule shall be substituted, namely :—

“SCHEDULE—1
(See rule 5)

S.No.	Name of Posts included in the Service	Number of Posts	Classification	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Chief Electoral Officer	1	Class-I	I.A.S. Cadre Pay Scale
2.	Additional/Joint Chief Electoral Officer	1	Class-I	I.A.S. Cadre Pay Scale
3.	Deputy Chief Electoral Officer	1	Class-I	15,600-39, 100+6600 Grade Pay
4.	Staff Officer	1	Class-I	15,600-39, 100+6600 Grade Pay
5.	Assistant Chief Electoral Officer	1	Class-II	15,600-39, 100+5400 Grade Pay
6.	Account Officer	1	Class-II	15,600-39, 100+5400 Grade Pay
7.	Private Secretary	1	Class-II	9300-34800+4200 Grade Pay
8.	Section Officer	3	Class-II	9300-34800+4200 Grade Pay.”

(2) In Schedule-II after serial number 3 and entries relating thereto, the following serial number 4 and entries relating thereto shall be added and existing serial number 4 serial number 5 serial number 6 and serial number 7 shall be renumbered as serial number 5 serial number 6 serial number 7 and serial number 8 thereto, namely :—

Name of Department	Name of Post	Total number of duty Post	Percentage of the number of duty post to be filled in		By transfer of persons from other Services
			By direct recruitment	By Promotion of members of the service	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Law (Election)	4. Staff Officer	1	-	100%	-

(3) In Schedule-III after serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number 2 and entries relating thereto shall be added and existing serial number 2 serial number 3 and serial number 4 shall be renumbered as serial number 3 serial number 4 and serial number 5 thereof,—

Name of the Department	Name of service or post from which Promotion is to be made	Name of service or post to which Promotion is to be made	Experience for Promotion	Name of Member of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“Law (Election)	2. Private Secretary	Staff Officer	5 Years	Chief Electoral Officer —Chairman One member of —Member Madhya Pradesh Public Service Commission. Additional/Joint Chief —Member Electoral Officer”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बंसल, पदेन सचिव.